UNNAO POLICE

प्रेस नोट - दिनांक 12.09.2026
थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव।

धोखाधड़ी व जालसाजी कर बैनामा कराने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी व जालसाजी कर बैनामा कराने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनाकं 22.06.2025 वादी जगदेव राम पुत्र स्व0 रामनाथ उम्र करीब 56 वर्ष ग्राम ठाकुरी खेड़ा थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव द्वारा थाना कोतवाली सदर पर प्रा0 पत्र दिया गया कि विपक्षीगण द्वारा वादी मुकदमा के साथ कूटरचना कर धोखाधडी कर बैनामा कराना तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0 495/25 धारा-420/419/467/468/471/120बी/506/427 भादवि पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 12.09.2026 को प्र0नि0 श्री चन्द्र कान्त मिश्र, उ0नि0 श्री ज्ञान सिंह मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रामआसरे पुत्र बदलू सोनकर उम्र करीब 60 वर्ष निवासी गदन खेडा थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव को उसके घर के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रामआसरे पुत्र बदलू सोनकर उम्र करीब 60 वर्ष निवासी गदन खेडा थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 श्री चन्द्र कान्त मिश्र
2. उ0नि0 श्री ज्ञान सिंह
3. का0 महेश कुमार
4. का0 संत कुमार

प्रेस नोट - दिनांक 12.09.2026
थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव।

चोरी का आरोपी गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 12.09.2026 को वादी मनोज कुमार पाण्डेय पुत्र स्व0 राम कुमार निवासी मो0 गदनखेडा थाना कोतवाली उन्नाव वर्तमान निवासी 509 जवाहर नगर थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव की तहरीर पर थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0 567/26 धारा 305क बीएनएस पंजीकृत किया गया । प्र0नि0 श्री चन्द्र कान्त मिश्र, उ0नि0 श्री सुभाष चन्द्र मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मारवुल उर्फ रूबी पुत्र श्रीराम दास उम्र करीब 23 वर्ष निवासी गोरसू थाना गोरसू जिला गुवाहाटी (असम) को कब्जे से वादी मुकदमा के 1000/- रूपये व आधार कार्ड बरामद कर गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मारवुल उर्फ रूबी पुत्र श्रीराम दास उम्र करीब 23 वर्ष निवासी गोरसू थाना गोरसू जिला गुवाहाटी (असम)

बरामदगी-

01.1000/- रूपये नगद चोरी के

02. एक अदद आधार कार्ड वादी का

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

01.प्र0नि0 चन्द्र कान्त मिश्र

02.उ0नि0 सुभाष चन्द्र

03.हे0का0 शहदाब खान

04.का0 राहुल माथुर